न्यायालय :– अपर सत्र न्यायाधीश पंचम्, गया

सत्र वाद सं0 02/2011/31/2012

राज्य बनाम् राजीव कुमार

31.03.21 प्रस्तुत जमानत आवेदन आवेदक/अभियुक्त राजीव कुमार जो दिनांक 16.3.21 से न्यायिक अभिरक्षा में है, की ओर से सिविल लाईन थाना कांड सं0 282/10 अभियोग अंतर्गत धारा 413,414,467,468,471,420 भा0दं0सं0 से उद्भूत उपरोक्त सत्र वाद में दाखिल किया गया। आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को दी जा चुकी है। जमानत के बिन्दु पर उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन को परिचालित करते हुए अपने तर्कों में कहे कि अभियुक्त पूर्व से जमानत पर था। अभिलेख बहस हेतु नियत चला आ रहा था, किन्तु अभियुक्त जीविकोपार्जन हेतु दिल्ली चला गया था और अपने केस के पैरवी का भार अपने पैरवीकार को दे दिया था किन्तु उसके द्वारा कोई सूचना नहीं देने के कारण दिनांक 6.1.217 को अभियुक्त न्यायालय में उचित पैरवी नहीं कर सका और अभियुक्त का बंधपत्र खंडित कर दिया गया। अभियुक्त ने जानबूझकर जमानत का दुरूपयोग नहीं किया है और उसने दिल्ली से घर आते ही जानकारी मिलने के बाद स्वतः दिनांक 16.3.21 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है और तब से जेल में है। अभियुक्त पर्याप्त सजा पा चुका है तथा वह यह अंडरटेकिंग देने को तैयार है कि वह भविष्य में हमेशा पैरवी करते रहेगा। अभियुक्त न्यायालय के शर्तों के अनुसार बंधपत्र देने को तैयार है, अतः इसे जमानत की सुविधा दिया जाए।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्कों का विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा औपचारिक रूप से विरोध किया गया।

उभय पक्षों को सुनने के बाद अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त पूर्व से जमानत पर था तथा अभिलेख बहस हेतु नियत चला आ रहा है। अभियुक्त की ओर से वाद में उचित पैरवी नहीं करने एवं दिनांक 6.12.17 को अभियुक्त के अनुपस्थित रहने के कारण अभियुक्त का बंधपत्र दिनांक 6.12.17 को खंड़ित किया गया है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के कथनानुसार अभियुक्त जीविकोपार्जन हेतु दिल्ली चला गया था। अभियुक्त स्वतः दिनांक 16.3.21 को न्यायालय में आत्मसपर्मण किया है तथा तब से जेल में है। अभियुक्त ने अपने कृत्य का पर्याप्त सजा पा चुका है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए अभियुक्त को उसके द्वारा 10,000/–रू. के समान राशि के दो प्रतिभूओं के बंधपत्र न्यायालय के संतुष्टि पर दाखिल करने पर इस शर्त पर जमानत पर अभिरक्षा से छोड़े जाने

का आदेश दिया जाता है कि अभियुक्त वाद के निष्पादन तक प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेगा, लगातार तीन तिथियों पर बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहने पर विद्वान अभियोजक के निवेदन पर बंधपत्र खंडित कर दिया जाएगा।

लेखापित

ह0/–

अपर सत्र न्यायाधीश पंचम्, गया